6.2.2

Vijayaraje Government Girls P. G. College , Morar , Gwalior (M.P.)

ORGANOGRAM

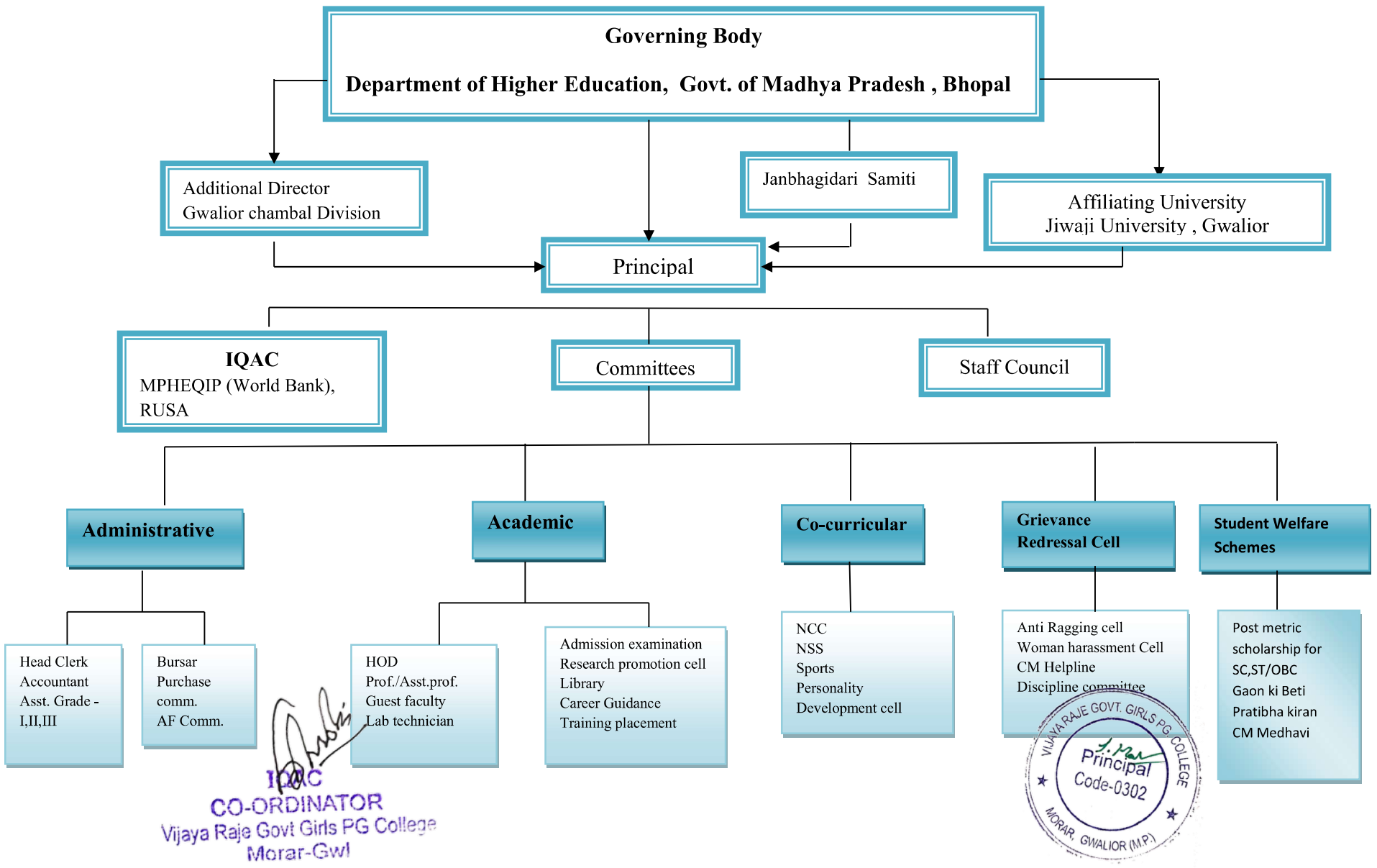

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

VIJAYA RAJE GOVT. GIRLS P.G. COLLEGE
Principal
Code-0302
MORAR, GWALIOR (M.P.)

Functioning of Grievance Redressal Cell

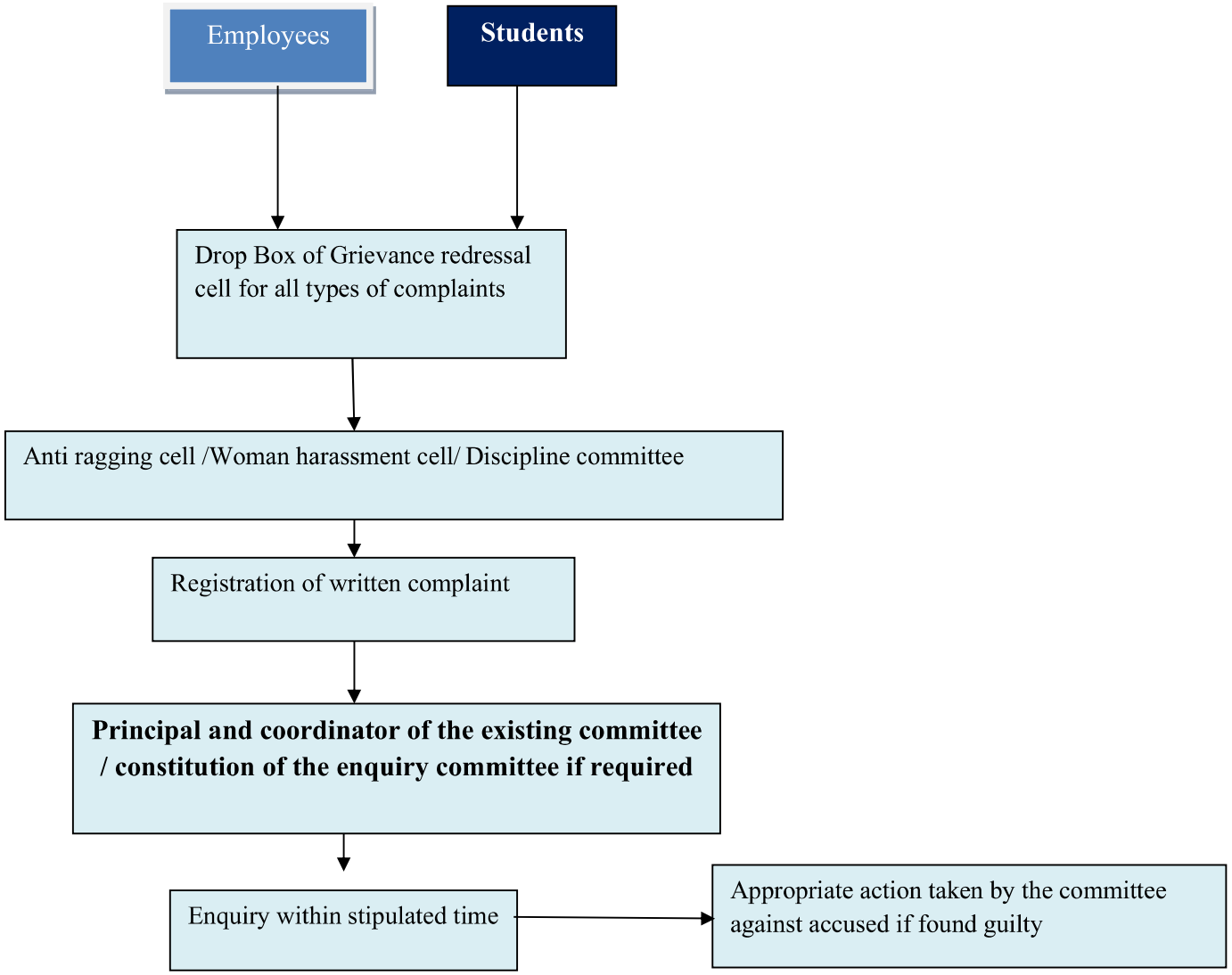

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

Principal
Code-0302

Local Governing Body Rules

(Uploaded on website of M.P. higher education- https://highereducation.mp.gov.in)

Website — https://highereducation.mp.gov.in

शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी का प्रारंभ एवं विकास

मध्यप्रदेश में राज्य शासन ने 30 सितम्बर 1996 को असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर जनभागीदारी समितियों का प्रारंभ इस प्रकार किया।

मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 471) भोपाल, सोमवार, दिनांक 30 सितम्बर 1996 - आश्विन 8, शक 1918

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 1996

क्र. एफ-73-6-96-सी-3-36-शासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन में जन भागीदारी की दृष्टि से शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

(क) शासकीय महाविद्यालयों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके स्थानीय प्रबंधन को एक समिति को सौंपा जाएगा, यह समिति ''मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973'' के अन्तर्गत पंजीकृत की जाएगी।

(ख) इस समिति को यह अधिकार होगा कि यह महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वेच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करें, विभिन्न गतिविधियों पर फीस लगाएं या बढ़ाए और कन्सलटेंसी आदि के धन एकत्रित करें, इस संसाधनों का उपयोग यह समिति महाविद्यालय की विभिन्न गतिविधियों के लिए कर सकेगी, समिति जन सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक पर्यावरण बनाने में सहायक होगी, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित कर दिए गए हैं, उनकी प्रबंध समिति को अकादमिक मामलों में भी स्वायत्तता होगी, अर्थात् ऐसी समितियां स्थानीय स्तर पर प्रवेश नियम बनायेंगी, पाठ्यक्रमों का निर्धारण करेंगी, अध्ययन अध्यापन, परीक्षा संचालन एवं मूल्यांकन की नई पद्धतियों का विकास करेंगी।

(ग) समिति के कार्य कलापों का प्रबंधन सामान्य परिषद् के निर्देश एवं नियंत्रण में किया जायेगा, यह समिति की सर्वोच्च सभा होगी, इस सभा का अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त किया जायेगा, राज्य शासन संबंधित नगर निकाय, जनपद एवं जिला पंचायत के सदस्य, विधायक अथवा सांसद में से किसी को अध्यक्ष नियुक्त करेगा, सामान्य परिषद् का उपाध्यक्ष कलेक्टर अथवा उनका प्रतिनिधि होगा, सामान्य परिषद् में विधायक, सांसद अथवा उनके नामजद प्रतिनिधि सदस्य होंगे।

इन परिषद् में मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा के उत्पाद का उपयोग करने वाले स्थानीय संगठन, उद्योग, अभिभावक, पूर्व विद्यार्थियों, स्थानीय संस्थाओं, दान-दाताओं, कृषकों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं पोषक शालाओं आदि के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, सामान्य परिषद् में अभिभावकों एवं पूर्व छात्रों के दो-दो प्रतिनिधि होंगे।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग में से प्रत्येक उस वर्ग का एक अभिभावक, जिसके कोई सदस्य अन्य

IQAC CO-ORDINATOR Vijaya Raje Govt Girls PG College Morar-Gwl

PRINCIPAL Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College Morar, Gwalior

श्रेणियों में न आये हों, परिषद् का सदस्य नामांकित किया जायेगा।

परिषद् में एक महिला अभिभावक को सदस्य नामांकित किया जायेगा यदि अन्य किसी श्रेणी में महिला न आई हो,

दानदाताओं के प्रतिनिधि का नामांकन निम्नलिखित मापदण्ड के आधार पर दानदाताओं में से किया जाएगा :

1. दस हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों द्वारा दस हजार रुपये से अधिक दान देने वालों में से,
2. दस हजार से पचास हजार तक की आबादी वाले स्थानों में रुपये पच्चीस हजार से अधिक दान देने वालों में से।
3. पचास हजार से एक लाख तक की आबादी वाले क्षेत्रों में, रुपये पचास हजार से अधिक दान देने वालों में से।
4. एक लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में एक लाख रुपये से अधिक दान देने वालों में से, सामान्य परिषद् में नामजद किए जाने वाले प्रतिनिधि, अध्यक्ष द्वारा नामजद किए जाएं, महाविद्यालय के प्राचार्य इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

साधारणतः सामान्य परिषद् की बैठक वर्ष में दो बार होगी, आवश्यकतानुसार परिषद् की विशेष बैठक भी बुलाई जा सकेगी, परिषद् नीति-निर्धारण के साथ ही महाविद्यालय की गतिविधियों की सामान्य रूप से देखरेख करेगी, परिषद् के कार्य-कलापों की प्रक्रिया विस्तृत रूप से निर्धारित कर दी गई है ताकि परिषद् के संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो,

(घ) सामान्य परिषद् के अतिरिक्त समिति के कार्य-कलापों के समुचित प्रबंधन के लिए प्रबंध समिति एवं वित्त समिति भी होगी,

(ङ) प्रबंध समिति सभी प्रबंध संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगी तथा यह सामान्य परिषद् के कार्य सम्पादन में भी सहायक होगी, सामान्य परिषद् का अध्यक्ष ही प्रबंध समिति का भी अध्यक्ष होगा, संभागीय मुख्यालय में स्थित महाविद्यालयों में जिलाध्यक्ष एवं अन्य महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा आयुक्त द्वारा मनोनीत शिक्षा शास्त्री उपाध्यक्ष होंगे, महाविद्यालय के प्राचार्य सदस्य सचिव होंगे, निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय के प्रमुख, महाविद्यालय के दो शिक्षक, विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि, दानदाताओं, एक अशासकीय संगठन तथा स्थानीय औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे, प्रबंध समिति की बैठक आवश्यकतानुसार होगी किन्तु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी,

(च) वित्त समिति के अध्यक्ष प्राचार्य होंगे, बैंकिंग/वित्तीय कार्य में अनुभवी व्यक्ति, महाविद्यालय के दो वरिष्ठ शिक्षक, संबंधित कोषालय अधिकारी या इनके द्वारा मनोनीत उप कोषालय अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे, वित्त समिति महाविद्यालय में वित्तीय अनुशासन बनाये रखने के कार्य में सहायता करेगी,

(छ) समिति द्वारा स्थानीय रूप से एकत्रित किए गए वित्तीय संसाधनों को किसी अनुसूचित बैंक में समिति की निधि के रूप में रखा जायेगा, इस निधि का व्यय समिति द्वारा स्वयं निर्धारित नियमों प्रक्रिया के अनुसार महाविद्यालय की अधोसंरचना के विकास के लिए किया जायेगा, संस्था की निधि का लेखा परीक्षण सामान्य परिषद् के द्वारा नियुक्त चार्टर्ड अंकेक्षक द्वारा प्रतिवर्ष किया जायेगा, महाविद्यालय को राज्य शासन से प्राप्त सभी राशियों की व्यय व्यवस्था एवं लेखा संधारण तथा अंकेक्षण शासकीय नियमानुसार होगी,

समिति की निधि का उपयोग महाविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा, सोशल गेदरिंग, निर्वाचन, स्वागत, विज्ञापन जैसी गैर अकादमिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जाएगा, इसके लिए नियम बनाये जायेंगे।

समिति द्वारा निर्धारित शिक्षा शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी, तथा समिति नये शुल्क भी लगा सकेगी और आय वृद्धि के अन्य उपाय भी कर सकेगी, ये सभी अतिरिक्त आय समिति की निधि में सम्मिलित की जायेगी।

(ज) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार जो शासकीय महाविद्यालय स्वशासी घोषित किए गए हैं उसका अकादमिक परिषद् और अध्ययन मण्डल भी होंगे, अकादमिक परिषद् एवं अध्ययन मण्डल महाविद्यालय के अकादमिक कार्य-कलापों में स्वायत्तता एवं समुचित प्रबंध को सुनिश्चित करेंगे, इनकी सदस्यता शिक्षा शास्त्रियों एवं विशेषज्ञों तक ही सीमित रहेगी।

(झ) समिति अपने कार्य के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं करेगी, महाविद्यालय के किसी एक कर्मचारी को ही समिति के

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College
Morar, Gwalior

समिति का ज्ञापन

1. समिति का नाम .... होगा।

2. समिति का पंजीयित कार्यालय .... में होगा।

3. समिति की स्थापना का उद्देश्य ....

महाविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा के विकास के लिए स्थानीय नागरिकों से स्वैच्छिक रूप से संसाधन एकत्रित करना, विभिन्न गतिविधियों एवं विषयों के अध्ययन के लिए शुल्क लगाना/बढ़ाना और कन्सलटेन्सी आदि से धन एकत्रित करना। इस प्रकार जुटाये गए संसाधनों का उपयोग का सहयोग के जरिए महाविद्यालय में अच्छा बौद्धिक वातावरण बनाने के लिए करना।

स्वशासी महाविद्यालयों के मामले में समिति के निम्न अतिरिक्त उद्देश्य भी होंगे-

(क) अध्ययनक्रमों और पाठ्यक्रमों का निर्धारण

(ख) शासन के आरक्षण नियमों के अध्याधीन प्रवेश नियमों की रचना

(ग) परीक्षा संचालन एवं मूल्याकन की पद्धतियों का विकास

4. समिति के प्रबंध विनियमों द्वारा समिति के कार्यों का प्रबंध शासक परिषद्, संचालकों, सभा या शासी-निकाय को सौंपा गया है। जिनके नाम, पते तथा धन्धों का उल्लेख निम्नांकित है:-

क्र.	नाम पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	धन्धा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.	समिति के सामान्य परिषद् अथवा प्रबंध समिति में से कोई भी सात पदाधिकारियों के नाम व अन्य विवरण अंकित करें।			
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

5. समिति के इस ज्ञापन-पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि म.प्र. सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है।

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College

मानदेय देकर अपना कार्य संचालन करेगी,

(त) महाविद्यालय के प्राचार्य एवं महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्तियाँ राज्य शासन द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के विद्यमान स्टाफ में से वर्तमान नियमों के अनुसार की जावेगी, भविष्य में ये अधिकार उन समितियों को दिए जायेंगे, जिनकी उपलब्धियाँ उल्लेखनीय होंगी, परन्तु शासन की अनुमति के बिना किसी नये पद का निर्माण नहीं किया जा सकेगा।

(थ) मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि शासन चाहेगा तो समिति की जांच करा सकेगा व ऐसा निर्देश दे सकेगा जैसा शासन उपयुक्त समझता है।

(द) वह व्यवस्था प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों में लागू की जायेगी,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी.डी. अग्रवाल, उपसचिव,

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Morar, Gwalior

Madhya Pradesh Civil Service Rules, 1961
(Uploaded on website of M.P. General Administrative Department - https//www.gad.mp.gov.in)

भाग-1

मध्यप्रदेश सिविल सेवा
(सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961

(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P.G. College
Morar, Gwalior

(मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अगस्त, 1961 के भाग 4 में प्रकाशित)

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 1961—आषाढ़ 22, 1883.
(दिनांक 2-4-98 तक संशोधित)

क्रमांक 1783-1585-एक (तीन)-60.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के कार्यों के संबंध में लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों की भरती तथा सेवा शर्तों को विनियमन करने के लिये निम्नलिखित सामान्य नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**—(1) ये नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 कहलायेंगे.

(2) ये नियम इनके ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक 1783-1585-एक (तीन) 60, दिनांक 13 जुलाई, 1961 में अधिसूचित किये जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(क) किसी सेवा या पद के संबंध में ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से तात्पर्य शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा या पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए.

(ख) ''आयोग'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है.

(ग) ''शासन'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है.

(घ) ''राज्यपाल'' से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है.

(ङ) ''पद'' से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है किन्तु इसमें कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें कर्मचारी को भुगतान ''आकस्मिकता निधि'' से किया जाता हो.

(च) विहित से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है.

(छ) ''सेवा'' से तात्पर्य भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो.

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG Colle
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. Colle
Morar, Gwalior

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

Bhopal, the 13th July 1961, Asadha 22, 1883
(As amended upto 2-4-1998)

(Published in State Gazette dt. 4-8-1961)

No. 1783-1585-I (iii)-60.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following general rules for regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the State of Madhya Pradesh, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961.

(2) These rules shall come into force on the date they are notified in the State Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires;—

(a) "Appointing authority" in respect of a service or post means the Government or such authority to whom the power of appointment to that service or post has been or may hereafter be, delegated by Government;

(b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission;

(c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(e) A "Post" means a whole time employment under Government but does not include any employment where the employee is [redacted] paid from contingencies;

(f) "Prescribed" means prescribed by other rules framed under the Constitution of India relating to the service in connection with the affairs of the State, or by general or special executive instructions issued by the Government in that behalf;

(g) A "Service" means a service of group of posts in connection with the affairs of the State other than the Indian Adminstrative Service and the Indian Police Service, organized and designated as such by Government;

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Morar, Gwalior

(ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति.**—ये नियम प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो राज्य में कोई पद धारण कर रहा हो या किसी सेवा का सदस्य हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्तें, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों,

(ख) ऐसे व्यक्ति जिनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में विशेष उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें,

(ग) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति.

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित विशेष उपबंधों के अंतर्गत न आता हो, ये नियम उपर्युक्त खंड (क), (ख), (ग) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे.

4. **वर्गीकरण.**—(1) राज्य की लोक सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगी:—

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, प्रथम श्रेणी.
(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, द्वितीय श्रेणी.
(तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय)
(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)
(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं, चतुर्थ श्रेणी.

(2) किसी विद्यमान सेवा या पद का और किसी नई सेवा या पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा या पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपांतरित न कर दिया जाए:

परन्तु यह और कि किसी सेवा या पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा.

5. **नियुक्ति के लिये पात्रता.**—किसी सेवा या पद पर नियुक्त होने के लिये उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिये, या
(ख) सिक्किम की प्रजा होना चाहिये, या
(ग) भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Gwalior

Website https://finance.mp.gov.in

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक: एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 28/07/2015

प्रति,

- शासन के समस्त विभाग,
  समस्त सम्भागीय आयुक्त,
  समस्त विभागाध्यक्ष,
  समस्त कलेक्टर,
  समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
  मध्यप्रदेश।

विषयः-मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

राज्य शासन एतद् द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के आदेश क्रमांक 11208-3209-ग्यारह-अ, दिनांक 26 अगस्त, 1974 से मध्यप्रदेश वित्तीय संहिता जिल्द-2 के विद्यमान परिशिष्ट-5 में प्रतिस्थापित मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन संबंधी पूर्व में जारी समस्त आदेश, निर्देश/नियम निष्प्रभावी करते हुए संलग्न परिशिष्ट अनुसार "मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015" तत्काल प्रभाव से जारी कर लागू करता है।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt Girls P.G. College
Morar, Gwalior

...../2/

[1]

पृ0 क्रमांक: एफ 6-14/2012/अ-ग्यारह भोपाल, दिनांक: 28 /07/2015

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2. महालेखाकार म. प्र. ग्वालियर, लेखा परीक्षा/लेखा एवं हकदारी, ग्वालियर।
3. माननीय राज्यपाल के सचिव, म.प्र. भोपाल
4. सचिव, लोक सेवा आयोग म.प्र. इन्दौर
5. सचिव, लोकायुक्त, म.प्र. भोपाल
6. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

8. उप नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
9. प्रेस अधिकारी, जनसम्पर्क एवं प्रेस प्रकोष्ठ, मत्रालय, भोपाल।

(अनिल भारतीय)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Morar, Gwalior

परिशिष्ट

मध्य प्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015

भाग 1 – वस्तुओं का उपार्जन

1. प्रस्तावना (Introduction)

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रदेश के सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु "**मध्यप्रदेश भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015,**" लागू करता है।

2. प्रभावशीलता (Applicability) %

ये नियम मध्यप्रदेश शासन के समस्त विभागों, राज्य शासन की 50 प्रतिशत से अधिक अंशधारिता वाले समस्त उपक्रमों, निगमों, मंडलों, विपणन संघ, सहकारी संस्थाओं, मंडी बोर्ड एवं कृषि उपज मंडी समितियों तथा पंचायत एवं नगरीय निकायों पर प्रभावशील होंगे। ये नियम राज्य शासन द्वारा इस प्रयोजन हेतु समय–समय पर विनिर्दिष्ट निकाय, संस्थान अथवा अभिकरण आदि पर भी लागू होंगे। ऐसी वस्तुओं के क्रय पर यह नियम लागू नहीं होंगे, जो शासन के विभागों / निगमों / मण्डलों द्वारा, विक्रय (trading) के लिए क्रय की जाती हैं।

3. परिभाषाऐं (Definitions)

3.1 **क्रयकर्ता** (indentor) से अभिप्रेत है क्रय आदेश जारी करने हेतु प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी।

3.2 **सामग्री** (Goods) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता द्वारा लोक दायित्व के निर्वहन में उपयोग हेतु क्रय की जाने वाली वस्तुयें लेकिन इसमें पुस्तकें, प्रकाशन, सामयिक पत्र–पत्रिकायें आदि शामिल नहीं हैं ।

3.3 **उपार्जनकर्ता अभिकरण** से अभिप्रेत है क्रयकर्ता की मांग के परिप्रेक्ष्य में प्रदायकर्ता के माध्यम से सामग्री / सेवाऐं उपलब्ध कराने हेतु राज्य शासन द्वारा नियम 6 के तहत् अधिकृत संस्था।

3.4 **डी.जी.एस. एण्ड डी.** (D.G.S. & D.) से अभिप्रेत है भारत सरकार का केन्द्रीय क्रय संगठन।

3.5 **प्रदायकर्ता** (Supplier) से अभिप्रेत है क्रयकर्ता को लोक सेवाओं के सम्बन्ध में उपयोग हेतु वस्तुयें / सेवायें प्रदान करने वाले निर्माता / सेवा प्रदाता / उद्यम / विभाग / संस्था / फर्म / प्रदेश में गठित स्व–सहायता समूह / व्यक्ति आदि ।

3.6 **पंजीकृत आपूर्तिकर्ता** (Registered Supplier) से अभिप्रेत है सीमित निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु उपार्जनकर्ता अभिकरणों में पंजीकृत प्रदायकर्ता।

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Morar, Gwalior

3.7 **निविदा प्रपत्र** (Tender Document) से अभिप्रेत है ऐसे समस्त दस्तावेज जिनमें किसी सामग्री/सेवा की आवश्यकता, मात्रा, तकनीकी विवरण एवं विशिष्टियां, क्रय/उपार्जन हेतु निर्धारित मापदण्ड, अनुमानित मूल्य, प्रदाय स्थल, कार्य की सूची, कार्य का तिथिवार निर्धारण, कार्य सम्पादन की अंतिम तिथि, सुरक्षा निधि/गारंटी मनी भुगतान की शर्त आदि सहित क्रय हेतु आवश्यक अन्य सभी जानकारियॉ समाहित हों ।

3.8 **निविदा** (Tender) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रण सूचना के प्रतिउत्तर में सामग्री/सेवायें प्रदान करने हेतु प्रदायकर्ता द्वारा प्रस्तुत औपचारिक प्रस्ताव ।

3.9 **निविदा आमंत्रण प्राधिकारी** (Tender Inviting Authority) से अभिप्रेत है निविदा आमंत्रित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी ।

3.10 **निविदा स्वीकारकर्ता प्राधिकारी** (Tender Accepting Authority) से अभिप्रेत है निविदा स्वीकार करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी ।

3.11 **निविदाकर्ता** (Tenderer) से अभिप्रेत है निविदा प्रस्तुत करने वाला व्यक्ति, फर्म अथवा कम्पनी ।

3.12 **आरक्षित सामग्री** (Reserved Items) से अभिप्रेत है समय–समय पर पुनरीक्षण के अध्यधीन नियम 6 अनुसार परिशिष्ट अ एवं ब में उल्लेखित वस्तुऍ ।

3.13 **अनारक्षित सामग्री** (Unreserved Items) से अभिप्रेत है आरक्षित सामग्री को छोड़कर अन्य सामग्री

3.14 **सूक्ष्म एवं लघु उद्योग** से अभिप्रेत है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा–7 अंतर्गत परिभाषित उद्यम ।

4. <u>क्रय के मूल सिद्धांत :</u>

लोक हित में क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी की यह जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी कि वह क्रय से संबंधित प्रकरणों में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मितव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ–साथ प्रदेश के सूक्ष्य तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देते हुए समस्त आपूर्तिकर्ताओं के साथ उचित और समान व्यवहार रखे।

5. <u>क्रय के लिए सक्षम प्राधिकारी :</u>

क्रय हेतु स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार राज्य शासन द्वारा किए गए वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार अथवा सामान्य या विशिष्ट आदेश से अधिकृत अधिकारी को रहेंगे। निगमों, मण्डलों तथा अन्य अर्धशासकीय संस्थाओं अंतर्गत ये अधिकार उनके वित्तीय अधिकारों के प्रत्यायोजन से शासित होंगे।

6. <u>आरक्षित सामग्रियों का क्रय :</u>

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. Colleg
Morar, Gwalior

55. विलंबित निविदाएं (late bids):–

विलंबित निविदा अर्थात् विनिर्दिष्ट तारीख और समय के बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

56. तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन (evaluation of technical bid):–

तकनीकी निविदा का विश्लेषण और मूल्यांकन संबंधित विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। यह समिति विश्लेषण और मूल्यांकन किए गए तकनीकी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को विस्तार में लिपिबद्ध करेगी।

57. वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन (evaluation of financial bid):–

विभाग द्वारा मात्र उन निविदाकर्ताओं के वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा, जिन्हें विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा तकनीकी रूप से पात्र घोषित किया गया हो। इस तरह खोले गये वित्तीय प्रस्ताव का निविदा की शर्तों अनुसार मूल्यांकन और विश्लेषण कर संबंधित विभाग द्वारा सफल निविदाकर्ता का चयन किया जाएगा।

58. पसंद से आउटसोर्सिंग (outsourcing by choice):–

यदि आपवादिक परिस्थिति में विशेष रूप से चुने गए संविदाकार को कोई कार्य आउटसोर्स करना आवश्यक हो, तो विभाग में सक्षम प्राधिकारी, वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने के बाद ऐसा कर सकेगा। ऐसे मामलों में विस्तृत औचित्य, पंसद से आउटसोर्सिंग करने की परिस्थितियां और इससे हल होने वाला विशेष हित या प्रयोजन भी प्रस्ताव का एक अभिन्न भाग होगा।

59. संविदा का पर्यवेक्षण (monitoring the contract) :–

विभाग द्वारा परामर्शदाता के कार्य निष्पादन का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा ताकि परिणाम, उद्देश्यों के अनुरूप हो।

हस्ता./–

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Morar, Gwalior

Assistant Professor Recruitment Rules 2017

(Uploaded on website of MPPSC - http://www.mppsc.nic.in)

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

सहायक प्राध्यापक परीक्षा - 2017

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 07/2017/ 12.12.2017
उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन

ऑनलाइन आवेदन करने की
अंतिम तिथि 24.01.2018

महत्वपूर्ण

1- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे. आवेदन पत्र दिनांक 25.12.2017 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 24.01.2018 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है । ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में किसी जानकारी/ शिकायत हेतु निम्न हेल्पलाइन पर संपर्क करें :-

हेल्पलाइन :- 0755-4019400

2- अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 30.12.2017 से 26.01.2018 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा ।

3- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

4- विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com एवं रोजगार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहे ।

5- आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आये और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P. G. College
Morar, Gwalior

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

बैकलाग पद :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या		
		SC	ST	OBC	कुल	SC	ST	OBC	अ.वा.	द.वा.	श्र.वा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	वनस्पति शास्त्र	0	9	0	9	0	3	0	0	0	0
2	रसायन शास्त्र	4	36	0	40	1	12	0	0	3	2
3	वाणिज्य	37	53	0	90	12	17	0	3	5	4
4	नृत्य	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0
5	अर्थशास्त्र	24	62	4	90	8	20	1	2	4	3
6	अंग्रेज़ी	24	58	17	99	8	19	6	2	5	5
7	भूगोल	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
8	भूगर्भशास्त्र	4	4	1	9	1	1	0	0	0	0
9	हिंदी	30	40	5	75	10	13	2	2	5	5
10	गृह विज्ञान	11	16	0	27	4	5	0	2	2	2
11	विधि	13	14	2	29	4	5	1	1	1	1
12	गणित	9	38	0	47	3	13	0	1	2	2
13	सैन्य विज्ञान	1	1	0	2	0	0	0	0	0	0
14	संगीत	2	2	0	4	1	1	0	0	0	0
15	दर्शनशास्त्र	3	4	1	8	1	1	0	0	0	0
16	भौतिक शास्त्र	4	2	0	6	1	1	0	2	2	2
17	राजनीति शास्त्र	24	47	8	79	8	16	3	0	4	4
18	मनोविज्ञान	0	6	0	6	0	2	0	0	0	0
19	लोक प्रशासन	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
20	समाजशास्त्र	24	33	0	57	8	11	0	1	3	3
21	उर्दू	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0
22	प्राणी शास्त्र	0	14	0	14	0	5	0	0	2	0
	योग	221	447	39	707	72	147	13	17	38	33

IQAC
CO-ORDINATOR
Vijaya Raje Govt Girls PG College
Morar-Gwl

PRINCIPAL
Vijaya Raje Govt. Girls P.G Colleg
Morar, Gwalior

2